पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Railway Manager's Office
वाणिज्य शाखा, भोपाल
Commercial Branch, Bhopal

कोटेशन सूचना(वाणिज्य शाखा)

संख्या–वा./भो./कार/टैक्सी/पा.स्टैण्ड/भोपाल/पश्चिम दिशा/21, **दिनांकः–21.12.2021**

भोपाल स्टेशन पर पश्चिम दिशा की ओर कार/टैक्सी पार्किंग स्टैन्ड का लाइसेंस आवंटन हेतु कोटेशन आमंत्रित करने बाबत।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुये मंडल रेल प्रबंधक(वाणिज्य)पश्चिम मध्य रेल, भोपाल द्वारा भोपाल मंडल के भोपाल स्टेशन पर पश्चिम दिशा की ओर कार/टैक्सी पार्किग स्टैण्ड का चार पहिया गाडियों को रखने हेतु खुली पार्किग 90 दिन या नया ठेका होने तक के लिए आवंटित करने हेतु मुहरबंद कोटेशन सूचना आमंत्रित की जाती है। कोटेशन निम्नानुसार कार्यालय में रखी कोटेशन पेटी में डाले जायेगे तथा निम्नानुसार दिनांक 30.12.2021 को समय 15.15 बजे कोटेशन सूचना खोली जायेगी इसका आरक्षित मूल्य 90 दिन के लिये निम्नानुसार निर्धारित हैं :–

क्र.	स्टेशन का नाम	कोटेशन डालने का समय व दिनांक	कोटेशन खुलने की दिनांक व समय	90 दिन हेतु आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	जगह वर्गमीटर
1	भोपाल स्टेशन पश्चिम दिशा की ओर 6 नम्बर प्लेटफार्म	30.12.2021 को 11.00 बजे से 15.00 बजे तक	30.12.2021 – 15.15 बजे	` 637655/-	` 63766/-	2760 वर्गमीटर

प्रत्येक निविदादाता को ` 63766/– (` तिरेसठ हजार सात सौ छियासठ मात्र) की वयाना राशि की डी. डी./एफ.डी.आर./बैंकर्स चेक अथवा नगद राशि मंडल कैशियर कार्यालय भोपाल में जमा कर रसीद मूल रूप से कोटेशन के साथ लगाना अनिवार्य है जो कि कार्यवाही सम्पूर्ण होने पर वापिस की जा सकती है व ठेका आवंटन के उपरांत नियम व शर्तो के पालन न करने की अवस्था में आवंटन निरस्त होने पर बयाना राशि जप्त की जा सकती है। यह डी.डी./एफ.डी.आर./बैंकर्स चेक अथवा नगद राशि वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल के नाम एवं उन्ही के नाम देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनी होना चाहिये, कोटेशन दिनॉक 30.12.2021 को समय 15.00 बजे तक इस कार्यालय में रखी कोटेशन पेटी में डाले जायेगें तथा उक्त दिनॉक 30.12.2021 को ही समय 15.15 बजे कोटेशन पेटी खोली जायेगी। इस ठेके का आरक्षित मूल्य ` 637655/– (रूपये छैः लाख सैतीस हजार छै सौ पचपन मात्र) 90 दिन के लिए रखा गया है। रेल्वे कोई शर्त घटा अथवा बढ़ा सकती है। जो कि कोटेशनदाता को मान्य होगी। अन्य जानकारी इस कार्यालय में आकर किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है। यह कोटेशन विना कोई कारण वताये रेल्वे समाप्त भी कर सकती है। सफल कोटेशन दाता को 45 दिन की लायसेंस फीस के बराबर राशि की एफ.डी.आर. के रूप में सुरक्षा राशि देनी होगी तथा 30 दिन की एडवांस लायसेंस फीस जमा करनी होगी एवं अपना पास पोर्ट साइज फोटो को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा कर देना होगा व चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी से जारी (छै माह से पुराना न हो) एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह कोटेशन सूचना वेवसाइट http:/www.wcr.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है। प्रस्ताव में दी गयी लायसेंस फीस पर 18% की दर से जी.एस.टी. देना होगा।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(वाणिज्य)/भोपाल.

प्रतिलिपिः मंडल रेल प्रबंधक, पमरे. भोपाल को सादर सूचनार्थ।
––''––: स्टेशन डायरेक्टर, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
––''––: स्टेशन प्रबन्धक, भोपाल कृपया संलग्न कुटेशन सूचना को स्टेशन नोटिस बोर्ड पर चिपकाते हुये इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराये।
––''––: मंडल वाणिज्य निरीक्षक, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(वाणिज्य)/भोपाल.

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Railway Manager's Office
वाणिज्य शाखा, भोपाल
Commercial Branch, Bhopal

संख्या–वा./भो./कार/टैक्सी/पा.स्टैण्ड/भोपाल/पश्चिम दिशा/21,   दिनॉक: ....

कोटेशन फार्म

विषयः– कार/टैक्सी पार्किगं स्टैण्ड स्टेशन –––––––––––

क्र			
1	आवेदक का नाम	::	______________________________
2	पिता का नाम	::	______________________________
3	पता वर्तमान एवं स्थाई	::	______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
4	कोटेशनदाता द्वारा 90 दिन की लायसेंस फीस	::	` ______________________________
5	बयाना राशि का विवरण	::	` ______________________________
6	प्रस्तुत प्रपत्रों का विवरण	::	1____________________________ 2____________________________ 3____________________________ 4____________________________

घोषणा

में यह घोषणा करता हूॅ/करती हूॅ कि कोटेशन सूचना की सभी शर्ते पढ़कर व समझली गई है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो रेल प्रशासन को कोटेशन सूचना निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस संबंध में में कोटेशनदाता कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेगा ना ही उसका कोई दावा मान्य होगा।

कोटेशनदाता के हस्ताक्षर :–

कोटेशनदाता का नाम :–

कोटेशनदाता का नम्बर :–

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Railway Manager's Office
वाणिज्य शाखा, भोपाल
Commercial Branch, Bhopal

क्रमांकःसंख्या–वा./भो./कार/टैक्सी/पा.स्टैण्ड/भोपाल/पश्चिम दिशा/21, दिनांकः–21.12.2021

नियम व शर्ते

1. सफल कोटेशन दाता को वाहन मालिकों से निम्न प्रकार से पार्किंग दरें लेने की अनुमति होगी :–

क	अवधि	पार्किंग रेट प्रतिवाहन
1	04 घंटे या भाग के लिये	रू 20/–
2	12 घंटे या भाग के लिये	रू 60/–
3	24 घंटे या भाग के लिये	रू 120/–
4.	मासिक रेल्वे स्टाफ	रू 300/–

2. राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी शासकीय वाहन व रेल्वे के सभी शासकीय वाहन निशुल्क रखे जायेंगे।

3. प्रत्येक कोटेशनदाता ` 63766/-( ` तिरेसठ हजार सात सौ छियासठ मात्र) की बयाना राशि के लिए एफडीआर/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो कि वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के नाम एवं उन्हीं के नाम देय,किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक से बनी मूल रूप से कोटेशन फार्म के साथ लगाना अनिवार्य है।

4. यदि नकद राशि जमा की जाती है तो वह मंडल कैशियर कार्यालय भोपाल में जमा कर कोटेशन के साथ मूल रसीद संलग्न करना अनिवार्य है,जो कि कार्यवाही सम्पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जा सकती है व ठेका आवंटन के उपरांत नियम व शर्तो के पालन न करने की अवस्था में आवंटन निरस्त होने पर बयाना राशि जब्त की जा सकती है।

6. सफल कोटेशनदाता को 45 दिन की लायसेंस फीस के बराबर की राशि बतौर सुरक्षा राशि कम परफोर्मेंस गारंटी के लिये एफ.डी.आर. के रूप में लाइसेंस आवंटन के समय देनी होगी साथ ही 30 दिन की एडवांस लायसेंस फीस जमा करनी होगी।

7. कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ अपना पास पोर्ट साइज फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा कर देना होगा व चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस अधीक्षक या थाना प्रभारी से जारी (छै माह से पुराना न हो) एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

8. प्रस्ताव में दी गयी लाइसेंस फीस पर 18% की दर से GST देना होगा।

9. कोई भी शिकायत या अन्य कारण से रेल्वे को ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं इस पर लायसेंसी को कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

कृते मण्डल रेल प्रबंधक(वाणिज्य)/भोपाल.